(c) The number of tax exemption notifications issued between the period April to October, 1977 are 60. A list of the notifications issued is at Statement 'B' laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1249/77]. As regards the amounts involved as also full details there of the answer to this is the same as in part (b) above.

आपात स्थिति के दौरान मारे गये छापों में तस्करों आदि से बरामद बहुमूल्य वस्तुएं

2399. **श्री व्रज राज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान तस्करों, मुनाफाखोरों और चोरबाजारियों के यहां मारे गए छापों में और उनके बैंक लाकरों को खोलने पर बरामद की गई उनकी बहुमूल्य वस्तुओं तथा अन्य मामग्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तस्करों से बरामद ऐसे धन, वस्तुओं अथवा आभूषणों और बहुमूल्य धातुओं का मूल्य क्या है और जो अभी सरकार के पास हैं और जो उनको वापिस लौटा दिया गया है ; और

(ग) सरकार उन व्यक्तियों के धन, वस्तुओं और बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) : (क) से (ग) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान आयकर प्राधिकारियो ने 6,206 मामलों में तलाशियां लेने तथा माल पकडने की कार्यवाहियां की जिनके कारण 4179 करोड़ रु० के अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं । जिन व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई उनके बारे में फिलहाल उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दिये गये अनुसार है ।

तलाशी लेने के जिस मामले मे बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं, उसमें पहली कार्यवाही यह की जाती है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया जाता है कि जिसके जरिये अघोषित आय को सरसरी तौर पर निर्धारित किया जाता है तथा पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों में से उतनी परिसम्पत्तियों को रोक दिया जाता है जिनसे विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत कर की समग्र देनदारी की पूर्ति हो सके । इसके बाद नियमित कर-निर्धारण किये जाते हैं और कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है जिसमे अर्थ-दण्ड लगाना/जहां कहीं आवश्यक हो, इस्तगासे की कार्यवाही करना भी शामिल है ।

आपातस्थिति के दौरान पकडे गये माल तथा सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आगे की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विवरण

आपात-स्थिति के दौरान आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, उनके कब्जे से पकड़े गये धन, कीमती सामान और अन्य वस्तुओं का ब्यौरा

	नकदी	जवाहिरात	मूल्यवान धातु	अन्य मूल्यवान वस्तुएं	कुल
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में पकड़े गये सामान का मूल्य	475(000)	837(000)	31(000)	6(000)	1349(000)
(ख) उपर्युक्त (क) मे से, आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत रोके गये माल का मूल्य	443(000)	798(000)	31(000)	6(000)	1278(000)
(ग) उपर्युक्त (क) मे से, कर निर्धारितियों को वापिस किये गये सामान का मूल्य	32(000)	39(000)	—	—	71(000)

Export of Khandsari Sugar

2400. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) the volume of exports of Khandsari sugar during the last three years and the countries to which exported;

(b) analysis of the exporters according to the various States, indicating names of the dealers in Tamil Nadu; and

(c) the extent of State participation in export trade of Khandsari sugar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) There has been no export of Khandsari Sugar from India during the last 3 years.

(b) and (c). Do not arise.